

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक:-3/ कृ०बजट विविध -30/2018

कृ० पटना दिनांक:-..... .2018

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय— बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक:-3167 दिनांक-24.08.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संधारित बैंक खातों में लंबी अवधि से संचित अव्यवहृत राशि को सरकारी कोष में जमा करके अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने का आदेश था। उसका अनुपालन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर/अररिया/कैमूर/बांका/बेगुसराय/जहानाबाद/ रोहतास/बक्सर/भोजपुर/पटना/मुजफ्फरपुर / मधुबनी/वैशाली /गया /मधेपुरा के द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराई गई है। शेष जिला से अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अबतक कितने बैंक खातों को बंद किया गया है, इसकी समीक्षा करते हुए दिनांक-27.09.2018 तक इसकी सूचना निम्न प्रपत्र में भरकर कृषि निदेशक (diragri-bih@nic.in) एवं प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग (nagendrasahani.agriculture@gmail.com) के ई-मेल पर शीघ्र भेजी जाए।

बैंक खाता से संबंधित सूचना

जिला कृषि कार्यालय का नाम.....

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	बैंक/शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता में अद्यतन संचित राशि	खाता संचालनकर्ता का पदनाम	बंद किये गये बैंक खातों की कुल संख्या	खाता चालू रखने का औचित्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

६०/-

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - ३७१०

/कृ०, पटना, दिनांक १५-१०-2018

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेश देते हुए वांछित सूचना प्राप्त कर दिनांक-27.09.2018 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

३
कृषि निदेशक
बिहार, पटना।